न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 83/2019 तारीख रजू 30.12.2019

रामलाल पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी टूटवास की ढाणी महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा।

——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा। —————— रेस्पो0

निर्णय दिनांक 18/2/21

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 270/2019 मे पारित आदेश दिनांक 10.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम महापुरा के आराजी खसरा नम्बर 302,349,354/1854 रकवा 0.20, 0.09, 0.16 हैक्टर किस्म चरागाह पर संवत 2076 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बाजार की फसल बोन का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्ट का राजकीय भूमि खसरा नम्बर 302,349,354/1854 रकवा 0.20, 0.09, 0.16 हैक्टर वाके ग्राम महापुरा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा अपीलान्ट का उक्त भूमि पर अतिक्रमण भी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई तथा पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया मात्र पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी निर्माण विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में मौके की जॉच नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:47:43 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होते हुये भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती मानते निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक रूप से गलत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलाण्ट को स्वंय को तामील होने पर अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 10.10.19 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसमें अपीलार्थी द्वारा सम्वत 2075 फसल काश्त की है तथा अतिक्रमी को मौके से बेदखल किया गया है। वकील अपीलार्थी का यह कथन है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं उक्त कथन मान्य नहीं है। अपीलार्थी को सम्वंत 2075 में भौतिक रूप से बेदखल किया है तथा अतिक्रमी बार–बार राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का आदि है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/2/21 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्फतर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:47:43 IST
Reason: SelfAttested